

**कार्यालय,
राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

संख्यक- दिनांक- 15-5-2019

-कार्यालय प्राम-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संशोधित सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी विद्यालय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की संपर्क प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु निर्धारित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश वसूली/वर्गी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुषंग में सम्बद्धता समिति नौ बैठक की मद्-2 में द्वितीय इन इकाई पाठ्यक्रम स्वयंसेवा करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

" संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा तैयार नई निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश शुल्क हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम
1	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आइ०टी०ई०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एम० १७६२ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली १९७२ तथा अन्य विहित विधियों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की दर करीब इकाई पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रमों के लिए ₹० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों की वर्षीय फीसों की आधारभूत की अधिशुल्क हेतु ₹० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक शर्त/अवकाश की प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अधिशुल्क मात्र/अवकाश से शुल्क की राकम में समत-समत पर अंतरण द्वारा निर्णय किये जाने वाले अवकाश/अवकाश प्रणाली होगी और उद्देश्यपूर्वक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क प्रदान किया जाएगा। प्रवेश शुल्क समिति द्वारा यदि सत्र 2018-20 हेतु कीरा का अनुपालन किया जाता है, तो फीस की राकम में इसे लागू करेगी।
- ✓ संस्था को (अथवा प्राविधिक शिक्षा समिति) तथा उ० प्र० समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाएगा विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश मरीशस परिषद द्वारा आवंटित धन को ही प्रयोग किया जाएगा। कोई नई स्किम या ज्वने की शिफ्ट में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था का सारा-सारा जरूरी खर्च शासन के अनुमति निर्धारण एवं संतुष्टता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआईटी/आईआईटी से जागहगी-सामान्य कर्म-अनुमानित प्रदात किया जाने-प्रामाणिक होगा।
- ✓ संस्था केवल प्रदेश शासन द्वारा मन्त्री सभे विधि/विद्यार्थी/अभिनियम/सहायक/निदेश एवं विदेश, प्रायोगिक शिक्षा, ज्योतिष, संयुक्त प्रदेश मरीशस परिषद, राज्य प्रायोगिक शिक्षा परिषद, राज्य द्वारा मन्त्री सभे विद्यार्थी, अभिनियम आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए काम करेगी।
- ✓ शिक्षण: इन कार्यवाही अनुमानित की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस शाखा में संयुक्त उत्तराखण्ड राज्य की सीमा और विधि/विधि रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तराखण्ड में प्रायोगिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश मरीशस परिषद, प्रायोगिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रायोगिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नए कार्य करना नया है तथा संस्था को नए से नए अनुमानित जवाब किसी प्रकार की प्रति/निर्देशों आदेश निर्देश किया जाता है ही समस्त प्रतिक्रिया संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षण इन कार्यवाही प्रायोगिक शाखाओं करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश मरीशस परिषद, उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य शासन एवं विधि/अभिनियम प्रवेश मरीशस हेतु अनुमति/विधि प्राप्त होने के पूर्व पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर लेना कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा जोकि जहाँ परी (अभिनियम) के प्रावधान से संस्था संस्था स्तर पर सीमा प्रवेश अनुमति जारी प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्थाएं द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश नवीनतम मार्गदर्शिका संस्था का अनुमानित करना प्रामाणिक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संयुक्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, स्टाफ, सारा-संस्था, उपकरण, प्राध्यापिका ज्ञान, बाता-शुल्क, अनुमानित शुल्क, आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रतिभाएं हेतु संयुक्त मार्गदर्शिका उपलब्ध करने के साथ-साथ संस्था के संयुक्त में समस्त अनुमानित बाता-शुल्क सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित करने कि संस्था में प्रस्तावित/अनुमानित अनुमानित को बनाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के संस्था उपलब्ध करने एवं अभिलेखी भूमि, जमान, फर्नीचर, प्रामाणिक इत्यादि का प्रति संस्था द्वारा किसी अन्य अनुमानित के अनुमानित में प्रयोग किया जाता है और सुनिश्चित की इसकी जानकारी होती है कि संस्था संयुक्त का प्रयोग किसी अन्य काम में किए गए रही है तो संस्थाएं संस्था की संयुक्त संयुक्त संयुक्त करने जाने की अनुमति भी जाएगी।
- ✓ संयुक्त कार्यवाही का अनुमानित व विधि/अभिनियम प्राध्यापिका ज्ञान-उत्तराखण्ड संस्था करने की शिफ्ट में नियमानुसार अनुमानित/अनुमानित कार्यवाही की जाएगी।

/

(राजीव कुमार सिंह)
राजिब

पुस्तक- प्राशिक्ष/परिषद संयुक्त/2019/1133-2257

तद् दिनांक 15-5-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, स्कूल आरंभ शिक्षण इकाई, विद्यार्थी-टेमिनकला कॉम्परा, सुजेल, मुलगावहर।

/

(राजीव कुमार सिंह)
राजिब

**कार्यालय,
राज्य, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

अवकाश दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राथमिक कार्यालय और इन्डियन नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के लक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल गई। बैठक में सविधि द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से वापसिदा संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गरी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मा-2 में विद्यार्थी इन संस्था पाठ्यक्रम संगठित करने वाली हुई के सम्बद्ध संस्थाओं को प्रारम्भ देखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यद्यन प्रकार-विपरीत का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यार्थी सार्वजनिक तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्ण से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसूची सूची के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सविधि द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आहत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3115	सूचना विज्ञान इन्जीनियरिंग शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	ऑनलाइन आधारित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	80	80
			ऑनलाइन आधारित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	120	120
			ऑनलाइन आधारित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	80	80
			ऑनलाइन आधारित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	80	80
			ऑनलाइन आधारित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1962, सेग्रेग्रेट विनियमकारी-2018 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा प्रत्येक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक प्राथ/प्रवेश से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त की अतिरिक्त प्राथ/प्रवेशों से शुल्क के सम्बन्ध में सामय-सामय पर आसन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले आदेशों का पालन होगा, और सन्तुष्ट कर कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। कीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पी0टी का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पी0टी की नवीनता दरें लागू होगी।

V:\2020\2020\1971\1971_01_2020_21.doc

- ✓ संस्था को (2020) प्राथमिक शिक्षा समितीया तथा उच्च समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता प्रुक्त जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एग्राइजेशन/पीरिडिक/से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कनाये गये शिक्षा/विश्वी/अभिनियाँ/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा कनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को ताने ताध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संभरण यदि पेशीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में सम्बंधित संस्था पर शासनादेशों का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को संघर्ष का समय का समय दिया जाता है तथा अगर बाद में संघर्ष में मा. विभाग द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संवाचित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने से पूर्व पीरिडिक/से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायमत्व को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आकाश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक फुटिबुकि, स्टान्, भाव-संस्था उपकरण, प्राय किताबें जना सुलभ, छात्रावास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त बालावरण उपलब्ध बनाने के साथ शिक्षा संकायों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्यक्ष/संवाचित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समितियों के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेख, पुस्तिकाएँ, फर्माचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संवाचन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

पु०सं०- प्राथिच/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद्दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, स्कूल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, शिवम टेकनिकल कॉमर्स खुर्जा, मुजफ्फरपुर।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु द्विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1518-SCHOOL OF DIPLOMA ENGINEERING, SHIVAM TECHNICAL CAMPUS KHURJA, BULANDSAHAR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1992, सेमेस्टर विनियमनावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमनावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त

प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन के लिये बाध्य होगी।

डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू०सं०- प्राशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SCHOOL OF DIPLOMA ENGINEERING, SHIVAM TECHNICAL CAMPUS KHURJA,
BULANSAHAR


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव